न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर0एम0ए0 वाद सं0–07 / 2015

नीलमुनी कोड़ाईन एवं अन्य
बनाम
सरबनी कोडाईन एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

02.02.2023

यह अपीलवाद, अपीलकर्ता नीलमुनी कोड़ाईन, पति–दुलाल कोड़ा एवं कार्तिक कोड़ा, पिता–दुलाल कोड़ा, दोनो का सा0–नित्यानंदपुर, थाना–महेशपुर, जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के आर0ई0आर0 वाद सं0–09 / 2003–04 में दिनांक–08.06.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। इस वाद में (1) झारखण्ड राज्य (2) सरबनी कोड़ाईन, पति–स्व0 मंगल कोड़ा, सा0–नित्यानन्दपुर, महेशपुर (3) गजली कोड़ाईन, पति–फुलबाबू कोड़ा (4) फुलबाबु कोड़ा, पिता–सुकु कोड़ा दोनो सा0–सीतारामपुर, थाना–महेशपुर (5) रानी कोड़ा, पति–नरेन कोड़ा (6) नरेन कोड़ा, पिता–स्व0 सोम कोड़ा दोनो सा0–नुनाडांगा, थाना–महेशपुर (7) दीदीमुनी कोड़ाईन, पति–सुनील कोड़ा एवं (8) सुनील कोड़ा, पिता–लखीचन्द्र कोड़ा, दोनो का सा0–रांगामाटी, थाना–नलहाटी, जिला बीरभूम (पं0बं0) को पक्षकार बनाया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि इस वाद के अपीलकर्त्ता अंचल महेशपुर के मौजा इच्छानगर के जमाबंदी सं0–13, मौजा–नित्यानन्दपुर के जमाबंदी सं0–15 एवं मौजा करकटगड़िया के जमाबंदी सं0–20 अन्तर्गत विभिन्न दागों की भूमि से इस वाद के उत्तरवादीगण को उच्छेद करने हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। दाखिल आवेदन पर आर0ई0आर0 वाद सं0–09 / 03–04 संस्थित कर सुनवाई की गई एवं दिनांक–08.06.2015 को पारित आदेश द्वारा उच्छेदी संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया गया। यह अपील वाद निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि खतियान में रामलाल कोड़ा, फुलचॉद कोड़ा दुर्गा कोड़ा के नाम से दर्ज है। रामलाल कोड़ा एवं फुलचॉद कोड़ा की नावल्द मृत्यु हो गई। दुर्गा कोड़ा के दो पुत्र फकीर कोड़ा एवं

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

सनातन कोड़ा हुए। फकीर कोड़ा को एक पुत्र मंगल कोड़ा एवं एक पुत्री नीलमुनी कोड़ाईन (अपीलकर्त्ता) हुई। मंगल कोड़ा की पत्नी सरबनी कोड़ाईन (उत्तरवादी) एवं उनकी तीन पुत्रियॉं हुई। उनका आगे कहना है कि प्रश्नगत जमाबंदी अन्तर्गत उनका 1/4 अंश हिस्सा में पड़ता है। कोड़ा, अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आता है तथा हिन्दू धर्मावलम्बी है। उत्तरवादी द्वारा जबरन उनकी हिस्से की सम्पति पर दखल कब्जा कर लिया गया है। उनके द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि विगत सर्वे खतियान में चार खतियानी रैयतों रामलाल कोड़ा, फुलचॉंद कोड़ा, दुर्गाचरण कोड़ा एवं लखीराम कोड़ा के नाम से दर्ज है। दुर्गाचरण कोड़ा को छोड़ अन्य खतियानी रैयतों की मृत्यु नावल्द हो गई। दुर्गा कोड़ा को फकीर कोड़ा एवं सनातन कोड़ा नामक पुत्र हुए। दोनों भाईयों द्वारा सम्पति का आधा–आधा बंटवारा कर लिया गया एवं अपने हिस्से का दखल–भोग करने लगे। फकीर कोड़ा को एक पुत्र मंगल कोड़ा एवं एक पुत्री नीलमुनी कोड़ाईन हुई। नीलमुनी कोड़ाईन की शादी साधारण रीति से हुई थी। कोड़ा जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आता है। सम्पति का कभी भी बंटवारा नहीं हुआ है। जब सम्पति का बंटवारा ही नही हुआ है तो कैसे कोई सयुक्त सम्पति पर दावा कर सकता है। यह बंटवारा/स्वत्व से संबंधित मामला है। बंटवारे के बाद ही यह स्पष्ट हो सकता है कि कोई किसी दूसरे की हिस्से की भूमि पर दखल किया हुआ है। उनके द्वारा अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी दोनो ही खतियानी रैयत दुर्गा कोड़ा के वंशज है। दुर्गा कोड़ा के दो पुत्र फकीर कोड़ा एवं सनातन कोड़ा हुए। फकीर कोड़ा का एक पुत्र मंगल कोड़ा एवं एक पुत्री नीलमुनी कोड़ाईन हुई। इनके बीच सम्पति के बंटवारा होने संबंधी कोई कागजात/दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। दोनों ही पक्ष खतियानी रैयत के वंशज है एवं सम्पति का बंटवारा भी नही हुआ है। ऐसे में किसी एक पक्षकार को बाहरी मानते हुए उसे उच्छेद किया जाना उचित नही है। अपीलकर्त्ता द्वारा JLJR 2004(vol-3) के पृष्ठ सं0–657 तथा PLJR 1985 के पृष्ठ सं0–820 में दर्ज न्याय निर्णय जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(1)(c) से संबंधित है, का हवाला देते हुए कहा गया है कि

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

कोड़ा जाति हिन्दू धर्मावलम्बी होते है। ये लोग हिन्दू रीति–रिवाज का पालन करते है तथा उक्त जाति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आते है, जिसमें पुत्री को उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत Class-1 heir माना गया है। आवेदिका द्वारा खुद को अनुसूचित जनजाति का बताते हुए हिन्दू रीति–रिवाजों का पालन करने वाला बताया गया जो संदेहास्पद है। यद्यपि संथाल जाति का अपना Customary law है परन्तु कोड़ा जाति जो संथाल नहीं है, के लिए अलग से कोई Customary law नहीं है। स्पष्टतः यह विवाद मूल रूप में हक, स्वत्व एवं बंटवारे के साथ–साथ उत्तराधिकार का भी है। जिसपर निर्णय लेना सक्षम व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय के आदेश से असहमत होने का कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं है।

अतः उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.06.14 16:57:41 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:1841:4146:3557:ab1f

Scanned with OKEN Scanner